

महत्वपूण

संख्या - 2-7-4-/ एक-4-2024

प्रेषक,

पी0 गुरूप्रसाद

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-आयुक्त चकबन्दी, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0

4-समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0

राजस्व अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 🗟 🛯 अप्रैल, 2024

विषय- राजस्व /चकबन्दी न्यायालयों में योजित होने वाले वादों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-653/15-4-2018-रा0-4 दिनांक 27.03.2018, परिषदादेश संख्या-3114/12-19रिट/2022 दिनांक 18.11.2022 व शासनादेश संख्या-रिट-144/एक-4-2022 दिनांक 26.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें,जिसके द्वारा राजस्व वादों के त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की संगत धारओं के अन्तर्गत प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में दायर होने वाले राजस्व वादों को पंजीकृत किये जाने/समयबद्ध सुनवाई किये जाने/आर्डरशीट तैयार किये जाने/आर्डरशीट पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में व्यापक निर्देश विद्यमान है। इसी क्रम में उक्त शासनादेश/परिषदादेश निर्गत किये गये हैं, परन्तु इसके वावजूद राजस्व वादों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण सम्यक निस्तारण न होने के कारण मा0 न्यायालय में निरन्तर रिट याचिकाएं/पी0आई0एल0 योजित होती रहती हैं। यह स्थिति शासन के निर्देशों को गंभीरता से नही लिये जाने का द्योतक है।

3. रिट याचिका मैटर अण्डर आर्टिकिल-227 सं0-412/2024 मोहम्मद अल्ताफ मंसूर @ चौधरी मोहम्मद अल्ताफ मंसूर बनाम सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, वारावंकी व 08 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2024 को पारित आदेश का क्रियाशील अंश निम्नवत है:-

"....... A copy of this order shall be placed before the Principal Secretary, Revenue, State of U.P. who shall hold an inquiry in respect of how the proceedings were conducted in respect of Case No. 1836 of 2023 and without looking into records, orders were passed without following due procedure and in absence of maintaining judicial order sheets and take

HO(G) N

105 2024

appropriate proceedings against the SDM who passed the order dated 12.05.2023, the Tehsildar, the Revenue Inspector and any other person who may be responsible for violating the rules, regulations for not maintaining judicial records. This has been done, as even earlier such an issue had come to the notice of this Court and it was flagged to be noticed by the Principal Secretary (Revenue), State of U.P. but it appears that the message has not percolated nor there has been any amends. In Awadhesh Kumar Vs. District Magistrate, Lucknow MANU/UP/2566/2022, this Court was constrained to notice the manner in which regulations were violated in performance of judicial functioning by the officers manning revenue courts, yet again this matter at hand has come to light.

Hence, Let the inquiry be completed and its report be placed before this Court within a period of three months from the date, copy of this order is placed before the Principal Secretary (Revenue), State of U.P.

List this matter on 07th May, 2024 for ascertaining the outcome of the inquiry. A copy of this order shall be communicated by the Senior Registrar of this Court to the Principal Secretary, Revenue, State of U.P. and to the District Magistrate, Lucknow. The original record has been handed over to the learned Standing Counsel."

Order Date :- 31st January, 2024

4. उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के उक्त आदेश में उल्लिखित याचिका अवधेश कुमार व अन्य बनाम जिलाधिकारी, लखनऊ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.9.2022 के क्रम में शासनादेश संख्या-रिट-144/एक-4-2022 दिनांक 26.12.2022 द्वारा राजस्व/चकबन्दी न्यायालयों के समक्ष दायर मामलों को तुरन्त पंजीकृत किये जाने, आदेश पत्र उचित रूप से तैयार किये जाने और सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाने, उच्चाधिकारियों द्वारा एक निश्चित अन्तराल पर नियमित रूप से राजस्व वादों का निरीक्षण किये जाने, समस्त जिलाधिकारियों द्वारा नियमित रूप में अपने जनपद की तहसीलों की जांच एवं निरीक्षण किये जाने तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-653/15-4-2018-रा0-4 दिनांक 27.03.2018, परिषदादेश संख्या-3114/12-19रिट/2022 दिनांक 18.11.2022 का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समय-समय पर निर्गत उक्त शासनादेशों/परिषदादेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए राजस्व वादों का त्वरित, समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण सम्यक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(पी0 गुरूप्रसाद) प्रमुख सचिव